

सामान्य भविष्य निधि आरम्भ करने हेतु आवेदन-पत्र
(दो प्रतियों में प्रस्तुत किया जाएगा)

1. आवेदक का नाम व पदनाम
1. (क) पिता का नाम
2. कार्यालय, जिससे सम्बन्ध है, यदि प्रतिनियुक्ति पर है तो मूल विभाग/सरकार का भी उल्लेख कीजिए:
.....
3. सेवा, जिससे आवेदक सम्बन्ध रखता है
4. क्या आवेदक स्थाई, अस्थाई या पुनर्नियोजित है यदि अस्थाई है तो सेवा आरम्भ करने की तिथि.....
5. क्या आवेदक की सेवा पैशानी है या नहीं
6. अंशदान की मासिक दर
7. उस निधि का नाम
8. क्या आवेदक का(परिवार है या नहीं).....
9. लेखा नम्बर जो लेखा अधिकारी द्वारा प्रदान किया जायेगा
10. जन्म तिथि

आश्रित

आवेदक के हस्ताक्षर

अनुलग्नक:- प्रमाणित किया जाता है कि आवेदक ने लगातार एक वर्ष की सेवा पूरी कर ली है और इसे सामान्य भविष्य निधि नम्बर प्रबन्ध नहीं की गई है।

.....कार्यालय संख्या दिनांक
लेखा नम्बर प्रदान करने के उपरान्त लौटाया जाता है। इस सम्बन्ध में सभी प्रकार के पत्राचार में यह नम्बर दिया जाना चाहिए।

आहरण एवं संवितरण अधिकारी के हस्ताक्षर ।

सारणी

पथ्य सारणी नियम 5(3)

नामांकन फार्म

मैं..... सुपुत्र/सुपुत्री/श्री.....

नियम, 1960 के नियम 2 में दी गई परिभाषा के अनुसार मेरे परिवार के सदस्य/मेरे सदस्य हैं, को मेरी मृत्यु हो जाने की स्थिति में निम्नलिखित नियम में मेरे नाम, जमा राशि को, अदायगी तिथि से पूर्व या राशि देय हो गई हो और अदायगी नहीं की गई हो, प्राप्त करने हेतु नामित करता हूँ:-

नामितों का नाम और पूरा पता	नामित के साथ	नामित(f) की प्रत्येक को वे परिवर्धिताया	उन व्यक्तियों का नाम, पता
सम्बन्ध	सम्बन्ध	आयु	परिवार का सदस्य नहीं
1	2	3	जिसके होने पर तथा सम्बन्ध, यदि कोई हो,
		4	जिसे अंशदाता के उत्तराधिकारी होने की स्थिति नामित अधिकार जायेंगे
		5	है, जैसा कि नियम 2 में
		6	प्रावधान किया गया हो
		7	तो कारण बताईए ।

दिनांक.....

दो गवाहों के हस्ताक्षर:

क्रमांक, नाम व पता:

1.
2.

हस्ताक्षर:

जी०प०००५० खाता संख्या

पर.....

अंशदाता के हस्ताक्षर:

नाम (बड़े अक्षरों में):

.....

पदनाम